राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

द्वितीय तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशन बाड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़
Phone No. 0771-2445052, 2421958, Fax: 0771-2421957, e-mail: mis.head@gmail.com

क्र. ..../एस.एस.ए./एमआईएस/यूडाइस/2012–13 रायपुर, दिनांक ....../10/2012

प्रति

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषय – यूडाइस डाटा 2012–13 एवं आधार नं. युक्त डाइस डाटा के संकलन विषयक।

यूडाइस डाटा का संकलन न्यूपा, नई दिल्ली का एक महत्वपर्ण कार्यक्रम है। यह कार्य भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जाता है। पूर्व वर्षो में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शालाओं से डाइस डाटा तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्तर की शालाओं से सेमीस डाटा का संकलन किया जाता रहा है। वर्तमान वर्ष से डाइस और सेमीस को एकरूपता प्रदान करते हुए नये डाटाबेस का निर्माण किया गया है जिसे यूडाइस के नाम से जाना जायेगा। यूडाइस के अंतर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई और हायर सेकेन्डरी स्तर की सभी शालाओं से जानकारी एकत्रित किया जायेगा। इस हेतु अतिरिक्त सचिव, भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार यूडाइस के सम्पूर्ण कियान्वयन के लिए निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं –

1. यूडाइस डाटा का संकलन कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त प्रकार के शालाओं से किया जायेगा।
2. यूडाइस के सम्पूर्ण क्रियान्वयन मिशन संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एसएसए के निर्देशन में किया जायेगा।
3. श्री शैलेन्द्र सिंह वर्मा, एमआईएस प्रभारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, एसएसए राज्य स्तर पर यूडाइस के कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
4. जिले स्तर पर यूडाइस के कियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक की होगी। एपीसी (यूडाइस), जिला कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिले स्तर पर यूडाइस के नोडल अधिकारी होंगे। ए.डी.ओ.पी., जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान यूडाइस के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग एवं जिला परियोजना समन्वयक समस्त कार्यो की सतत मानीटरिंग करेंगे और साप्ताहिक बैठक में जिला मिशन संचालक को यूडाइस के प्रगति की जानकारी प्रदान करेंगे।
6. राज्य स्तर पर डाइस डाटा और सेमीस डाटा का Mapping /Merging एसएसए के द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिले स्तर के प्रोग्रामर एवं आरएमएसए के जिले स्तर के ए.डी.पी.ओ. एवं प्रोग्रामर सहयोग करेंगे।

पृष्ठ क. 1 से आगे....

7. यूडाइस के प्रपत्रों का साफ्टवेयर के माध्यम से मुद्रण हेतु एमआईएस शाखा, राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन यूडाइस डाटाबेस जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को उपलब्ध करायेंगे।
8. समस्त प्रकार के प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला, हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल के यूडाइस डाटा संकलन प्रपत्र का मुद्रण यूडाइस साफ्टवेयर के माध्यम से जिले स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन की जिम्मेदारी में किया जायेगा। इस हेतु बजट राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा वहन किया जायेगा।
9. मुद्रित डाइस प्रपत्रों के वितरण हेतु समस्त प्रकार के शालाओं की संकुलवार सूची तैयार किया जाय। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कूलों के यूडाइस प्रपत्र का वितरण विकासखण्ड व संकुल के माध्यम से किया जाय। हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के यूडाइस प्रपत्रों के वितरण हेतु ए.डी.पी.ओ. राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान सहयोग करेंगे।
10. यूडाइस डाटा संकलन प्रपत्र का मुद्रण यूडाइस साफ्टवेयर के माध्यम से करने के लिए जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन में उपलब्ध उच्च क्षमता का लेजर प्रिंटर का उपयोग करेंगे। यदि उच्च क्षमता का लेजर प्रिंटर नही है तो इसे क्रय कर उक्त मुद्रण कार्य पूर्ण करायें। प्रपत्रों का मुद्रण कार्य किसी बाहय एजेंसी के माध्यम से भी किया जा सकता है। मुद्रण का कार्य जिला परियोजना समन्वयक अपनी जिम्मेदारी में करेंगे। किसी स्कूल के यूडाइस प्रपत्र के मुद्रण न होने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए यह कार्य 31 अक्टूबर 2012 तक पूर्ण करेंगे।
11. विकासखण्ड स्तर पर यूडाइस के कियान्वयन हेतु विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक नोडल अधिकारी होंगे। यूडाइस के प्रपत्रों को भरने हेतु संकुल स्त्रोत केन्द्र प्रभारियों का प्रशिक्षण, प्रपत्रों का संकलन एवं डाटा एन्ट्री का कार्य आदि विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों में किया जायेगा।
12. संकुल स्तर पर संकुल स्त्रोत केन्द्र प्रभारी द्वारा प्राथमिक शाला (कक्षा 1 से 5), उच्च प्राथमिक शाला (कक्षा 6 से 8) तथा प्राथमिक सह उच्च प्राथमिक शाला (कक्षा 1 से 8) के प्रधानपाठकों को प्रपत्र भरने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एवं डाटा संकलन प्रपत्र को भरने का कार्य भी पूर्ण करायेंगे। भरे हुए यूडाइस प्रपत्र संकुल स्त्रोत केन्द्र प्रभारी द्वारा विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों में जमा किया जायेगा।
13. हाई स्कूल (कक्षा 9 से 10), हायर सेकेन्डरी स्कूल (कक्षा 9 से 12 अथवा कक्षा 11 से 12), तथा ऐसे समस्त स्कूल जो कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 अथवा 6 से 12 तक संचालित हैं के स्कूलों के प्रपत्र को भरने हेतु स्कूलों के प्राचार्य का प्रशिक्षण ए.डी.पी.ओ., आरएमएसए के द्वारा दिया जायेगा। यह कार्य जिले/विकासखण्ड स्तर पर किया जायेगा। भरे हुए यूडाइस प्रपत्र शाला के प्राचार्य द्वारा विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों पर जमा किया जायेगा।

पृष्ठ क. 2 से आगे....

14. इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि संकुल स्त्रोत समन्वयकों को किसी भी स्तर पर यूडाइस के कार्यों में शामिल न किया जाय।
15. प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य/प्रधानपाठक की यह जिम्मेदारी होगी कि डाटा संकलन प्रपत्र भरने के पश्चात चुने हुए यूडाइस के आंकड़ों का जनवाचन जनप्रतिनिधियों, शाला प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, पालकों एवं ग्राम/वार्ड के नागरिकों को आमंत्रित कर उनके समक्ष किया जाय। जनवाचन के पश्चात भरे हुये यूडाइस प्रपत्र को शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष व दो सदस्यों से सत्यापित करना होगा। सत्यापन के बाद ही प्रपत्र विकासखण्ड केन्द्र में जमा किये जायेंगे।
16. संकुल स्त्रोत केन्द्र प्रभारी उसके अधिनस्थ प्रत्येक स्कूलों के प्रपत्रों का परीक्षण करेंगे तथा स्कूलों की सूची तैयार कर भरे हुए प्रपत्र विकासखण्ड स्त्रोत केन्दों में जमा करेंगे। हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्राचार्य भरे हुए यूडाइस प्रपत्र सीधे विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों में जमा करेंगे।
17. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग एवं जिला परियोजना समन्वयक प्रत्येक विकासखण्ड के कुल शालाओं के 15 प्रतिशत प्रपत्रों की जॉच करेंगे एवं उनके द्वारा पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को निर्देशित करेंगे।
18. यूडाइस के डाटा एन्ट्री हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर का प्रशिक्षण राज्य कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रो पर डाटा एन्ट्री आपरेटर नहीं है तो इसकी नियुक्ति कर लिया जाय। इस हेतु वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्य योजना में विकासखण्ड स्त्रोत मद में बजट अनुमोदित है।
19. आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में एमआईएस समन्वयक की नियुक्ति किया जाना है। इसके लिए पूर्व में ही राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देश दिया जा चुका है। यह कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय ताकि यूडाइस के कार्यों में एमआईएस समन्वयक का सहयोग लिया जा सके।
20. सभी प्रकार के स्कूलों के भरे हुए यूडाइस प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री कार्य विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्रों में की जायेगी। डाटा एन्ट्री कार्य हेतु कम्प्यूटर सिस्टम, यूपीएस एवं लेजर प्रिंटर की व्यवस्था विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक करेंगे तथा यह सुनिश्चित करें कि जिस कम्प्यूटर में यूडाइस डाटा की एन्ट्री की जा रही हो उसे अन्य किसी भी कार्य में उपयोग न किया जाय। बिना यूपीएस के डाटा एन्ट्री का कार्य भी न कराया जाय।
21. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री होने के पश्चात विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक प्रपत्र का सत्यापन करेंगे। इस प्रकार हाई और हायर सेकेन्डरी शालाओं के प्रपत्रों की सही डाटा एन्ट्री होने के पश्चात विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रपत्र का सत्यापन करेंगे।

पृष्ठ क. 3 से आगे....

22. विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक समस्त शालाओं के यूडाइस प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री होने का प्रमाणपत्र सहित यूडाइस डाटा की साफ्ट कापी जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन में जमा करेंगे। डाटा में पाई गयी त्रुटियों का निराकरण प्रोग्रामर, जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में जिले के एपीसी (यूडाइस) एवं ए.डी.पी.ओ. सहयोग करेंगे। त्रुटियों के निराकरण का कार्य राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान के एमआईएस प्रभारियों द्वय के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

Sd
मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 1737 / एस.एस.ए. / एमआईएस / यूडाइस / 2012–13 / रायपुर, दिनांक 12 / 10 / 2012
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
4. मिशन संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. मु.कार्य.अधि. एवं जिला परियोजना अधिकारी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, समस्त जिला छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला, छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग, समस्त जिला को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. जिला परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

12/X/12

मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर